



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985

भाद्रपद 1, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1508 / सत्रह-वि-1-1(क)-4-1985

लखनऊ, 23 अगस्त, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक 1985, पर दिनांक 21 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह 29 सितम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 23  
सन् 1971 की  
धारा 2 का संशो-  
धन

2—उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(क) ‘नियत दिनांक’ का तात्पर्य अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के संबंध में 3 जुलाई, 1971 से है और अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के संबंध में 28 अक्टूबर, 1984 से है;”

(ख) खण्ड (ज) में, [शब्द] “अनुसूची में” के स्थान पर शब्द “अनुसूची एक या अनुसूची दो में” रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशो-  
धन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (5) में, जहाँ-जहाँ भी शब्द “अनुसूची” आया हो, उसके स्थान पर शब्द “यथास्थिति; अनुसूची एक या अनुसूची दो” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (10) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द “तीन महीने” के स्थान पर शब्द “छः महीने” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 16 का  
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, जहाँ-जहाँ भी शब्द “31 मार्च, 1970” आये हों, उनके पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

“या 31 मार्च, 1983 जैसा कि अनुसूची एक या अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में है;”

अनुसूची का संशो-  
धन

5—मूल अधिनियम की वर्तमान “अनुसूची” में, शीर्षक में, शब्द “अनुसूची” के स्थान पर शब्द “अनुसूची एक” रख दिये जायेंगे।

नयी अनुसूची—दो  
का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“अनुसूची दो

[धारा 2 (ज) और (7) (5) देखिये]

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

स्तम्भ-3

क्रम-संख्या

फैक्ट्री जिस नाम से फैक्ट्रीज के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के यहाँ पंजीकृत है और उसका पता

प्रतिकर की धनराशि  
(रुपयों में)

(नोट—जहाँ फैक्ट्री उस कम्पनी या फर्म के नाम में पंजीकृत है जिसका फैक्ट्री पर स्वामित्व है अथवा जो फैक्ट्री को पट्टे पर धारण करिये है तो यथा पंजीकृत नाम ही इस स्तम्भ में लिखा है किन्तु इस प्रकार के उल्लेख से यह अर्थ नहीं निकाला जायेगा कि धारा 3 के अधीन वह कम्पनी अथवा फर्म अर्जित की जा रही है।)

- 1—श्री जानकी शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला, देहरादून सत्रह लाख अस्सी हजार छः सौ दो  
(17,80,602)
- 2—लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर इकहत्तर लाख, अड़तीस हजार छियासी  
(71,38,086)
- 3—अमृतसर शुगर मिल्स, रोहानाकलां, मुजफ्फरनगर सत्तर लाख एक हजार सात सौ सरसठ  
(70,01,767)
- 4—जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड, बागपत रोड, मेरठ उन्तीस लाख बी हजार तीन सौ इक्तालिस  
(29,09,341)
- 5—पन्नी जी शुगर एण्ड जतरल मिल्स, पन्नीनगर, बुलन्दशहर तिरपन लाख पन्द्रह हजार  
(53,15,000)

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

स्तम्भ-3

6--एच 0 आर 0 शुगर फैक्ट्री, नेकपुर, बरेली	नी लाख सतहत्तर हजार सात सौ प्रचासी (9,77,785)
7--लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लिमिटेड, हरदोई	पन्द्रह लाख चालीस हजार दो सौ छिहत्तर (15,40,276)
8--लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड, छितौनी, देवरिया	सोलह लाख पैसठ हजार तीन सौ उन्तासी (16,65,379)
9--भाधो महेश शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुण्डेरवा, बस्ती	सोलह लाख चौरासी हजार छः सौ सत्तावन (16,84,657)
10--पंजाब शुगर वर्क्स लिमिटेड, घुघली, गोरखपुर	ग्यारह लाख बारह हजार तिरपन (11,12,053)
11--महावीर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिसवा बाजार, गोरखपुर	पांच लाख चौबीस हजार पांच सौ उन्तालिस (5,24,539)
12--लक्ष्मी जी शुगर मिल्स, महोली, सीतापुर	एक करोड़ नौ लाख चौरानबे हजार छः सौ सत्ताइस (1,09,94,627)"

7--(1) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी० एल० लूम्बा,  
सचिव।

No. 1508(2)/XVII-V-1-1 (KA)-4-1985

Dated Lucknow, August 23, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chini Upkram (Arjan) (Sanshodhan) Adhinyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 20 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 21, 1985.

**THE UTTAR PRADESH SUGAR UNDERTAKINGS (ACQUISITION)  
(AMENDMENT) ACT, 1985**

[U. P. ACT NO. 20 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition)  
Act, 1971

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 1985.

Short title and commencement.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 23 of 1971.

- (2) It shall be deemed to have come into force on September 29, 1984.
2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) ‘appointed day’ in relation to the undertakings specified in Schedule I means July 3, 1971 and in relation to the undertakings specified in Schedule II means October 28, 1984;”

(b) in clause (h), for the words ‘in the Schedule’, the words ‘in Schedule I or Schedule II’ shall be substituted.

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (5), for the words “the Schedule” the words “Schedule I, or Schedule II, as the case may be” shall be substituted; ;

(b) in sub-section (10), in the proviso, for the words “three months” the words “six months” shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 16.

4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso after the words “thirty-first day of March, 1970” wherever they occur, the following words shall be inserted, namely :—

“or, thirty-first day of March, 1983, according as the undertaking is specified in Schedule I or Schedule II”.

Amendment of the Schedule.

5. In the existing Schedule to the principal Act, in the heading, for the words “The Schedule” the words “Schedule I” shall be substituted.

Insertion of new Schedule II.

6. After the existing Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely :—

“SCHEDULE II

[ See sections 2(h) and 7(5) ]

Column 1	Column 2	Column 3
Serial no.	Name in which the factory is registered with the Chief Inspector of Factories, Uttar Pradesh and its address.	Amount of compensation (in rupees).
	(NOTE—Where the factory is registered in the name of the company or firm owing or holding the factory on lease the name as registered is specified in this column, but such specification shall not be construed to mean that it is that company or firm that is being acquired by virtue of section 3.)	
1	2	3
1.	Shri Janki Sugar Mills Company Limited, Doiwala, Dehra Dun	Seventeen lakh eighty thousand six hundred and two (17,80,602)
2.	Lord Krishna Sugar Mills, Saharanpur	Seventy-one lakh thirty-eight thousand and eighty-six (71,38,086)
3.	Amritsar Sugar Mills, Rohankalan, Muzaffarnagar	Seventy lakh one thousand seven hundred sixty-seven (70,01,767)
4.	Jaswant Sugar Mills Limited, Bagpat Road, Meerut	Twenty-nine lakh nine thousand three hundred and forty-one (29,09,341)
5.	Panniji Sugar and General Mills, Panni Nagar, Bulandshahr	Fifty-three lakh and fifteen thousand (53,15,000)

1	2	3
6.	H. R. Sugar Factory, Nekpur, Bareilly	Nine lakh seventy-seven thousand seven hundred and eighty-five (9,77,785)
7.	Lakshmi Sugar and Oil Mills Limited, Hardoi	Fifteen lakh forty thousand and two hundred seventy-six (15,40,276)
8.	Lakshmi Devi Sugar Mills Limited, Chhitauni, Deoria	Sixteen lakh sixty-five thousand three hundred seventy-nine (16,65,379)
9.	Madho Mahesh Sugar Mills Private Limited, Munderwa, Basti	Sixteen lakh eighty-four thousand six hundred and fifty seven (16,84,657)
10.	Punjab Sugar Works Limited, Ghughli, Gorakhpur	Eleven lakh twelve thousand and fifty-three (11,12,053)
11.	Mahavir Sugar Mills Private Limited, Siswa Bazar, Gorakhpur	Five lakh twenty-four thousand five hundred and thirty-nine (5,24,539)
12.	Lakshmiji Sugar Mills, Maholi, Sitapur	One crore nine lakh ninety-four thousand six hundred and twenty-seven (1,09,94,627)

U.P. Ordinance no. 8 of 1985.

7. (1) The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in subsection (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
B. L. LOOMBA,  
Sachiv.